

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक : एफ 15 (3) () सा.सु./पालनहार छात्र./सान्याअवि/2021/ 5062

जयपुर, दिनांक : 2/2/22

आदेश

पालनहार आवासीय छात्रावास (हाफ-वे-होम) संचालन नियम-2021" आदेश संख्या 20800 दिनांक 06.05.2021 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं:

नियम-4 उद्देश्य के उपनियम (i) एवं (ii) में निम्नानुसार वाक्यांश जोड़ा जाता है।

(i) पालनहार योजनान्तर्गत लाभान्वित बच्चे जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिये आर्थिक सम्वल उपलब्ध कराना।

(ii) बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध करवाकर उनको आत्मनिर्भर बनाना।

नियम-9. छात्रावास में प्रवेशित बच्चों के व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार/व्यवसाय स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता की प्रक्रिया एवं शर्तों के उपनियम (i) व (iii) में निम्नानुसार वाक्यांश जोड़ा जाता है।

(i) (क) छात्रावास में प्रवेशित ऐसे बच्चे जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेशित हैं तथा नियमित अध्ययनरत हैं, को कोर्स पूर्ण होने या 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक छात्रावास में निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी।

(ख) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों द्वारा कोचिंग संस्थान में सम्बन्धित कोर्स हेतु प्रवेश लिये जाने से कोर्स की निर्धारित अवधि पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिये जो भी पहले हो तक छात्रावास में निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जावेगी।

(ग) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु कोचिंग संस्थान में किये गये नामांकन व फीस की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।

(घ) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों को कोर्स पूर्ण होने तक प्रतिमाह कोचिंग संस्थान से उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित छात्रावास अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, जयपुर

ई-मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141-2226604 हैल्पलाइन डेस्क - 1800-180-6127

\\NEERAJ-PC\Social Justice\Half-Way-Home\Half Way Home Letter.Docx

- (iii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी शैक्षणिक संस्थान द्वारा सम्बन्धित कोर्स हेतु निर्धारित फीस का भुगतान मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना से किया जावेगा, जो मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना संचालन नियम-2021 के अनुरूप होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। योजनान्तर्गत अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

(ओपीओ बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ 15 (3) () सा.सु./पालनहार छात्र./सान्याअवि/2021/ 5063-5263 जयपुर, दिनांक : 2/2/22

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज/गृह/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/श्रम एवं नियोजन विभाग/कौशल विकास विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.के.सी.एल.), राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर।
9. जिला कलक्टर (समस्त),
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त),
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सान्याअवि, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथियों में आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावे।
12. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त),
13. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त),
14. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (सा.सु.)

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर

ई-मेल : raj.palanhar@rajasthan.gov.in, फोन : 0141-2226604 हैल्पलाइन डेस्क - 1800-180-6127

\\NEERAJ-PC\Social Justice\Half-Way-Home\Half Way Home Letter.Docx